20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

33

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

रिवीजन क्रमांक ..../2017

I/निगरानी/सिवनी/भू.रा/2017/6102

467

रिवीजनकर्ता : ग्रामवासी दुर्जनपुर द्वारा होमन लाल तिवारी आत्मज प्रीतम लाल उम्र 70 वर्ष, ग्राम दुर्जनपुर तह. घन्सौर जिला सिवनी म.प्र.

आवेदक श्री यू0एस0 तिवारी द्वारा प्रस्तुत सी682 21 NOV 2017

विरूद्ध

अनोवदकगणः 1. दिलीप शिवहरे पिता भागचन्द्र शिवहरे, निवासी ग्राम दुर्जनपुर पोस्ट अतरिया तह. घन्सौर जिला सिवनी म.प्र.

2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी म.प्र.

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

रिवीजनकर्ता/आवेदक राजस्व प्रकरण(सह अपील) क्रमांक 194/अ–19/ 2009–10 आदेश दिनांक 01.09.2017 न्यायालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. (ग्रामवासी दुर्जनपुर द्वारा डोमनलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) तथा अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2010 प्रकरण क्रमांक 21/अ–10/08–09 न्यायालय अपर कलेक्टर सिवनी म.प्र. (ग्रामवासी दुर्जनपुर विरूद्ध दिलीप) में पारित आदेश से

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/सिवनी/भू.रा./2017/6102 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 194/अ–19/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 8–5–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि अनावेदक को घास मद की भूमि का पट्टा ग्राम सभी की बैठक में दिनांक 20–3–2002 को दिया गया है, जो विधि मान्य है । उक्त आधार पर तथा आदेश के विरूद्ध याचिका समय के बाहर होने तथा बिना औचित्य के लगाई जाने के निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । 3/ पक्षकार सूचित हों । (हस्ताक्षर) प्रशा0 सदस्य	